न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्र0न0 47 / 2024

1 हवासिंह पुत्र सन्त कुमार जाति विश्नोई निवासी शेरेको तहसील टिबी जिला हनुमानगढ ।

प्रार्थी

बनाम्

1. इन्द्रजीत पुत्र राजाराम
2. जगदीश पुत्र राजाराम

अकवाम बिश्नोई निवासी शेरेका तहसील टिबी जिला हनुमानगढ

3. गीता पुत्री राजाराम पत्नी नेकीराम जाति विश्नोई निवासी नजदीक स्टेडियम सुरतगढ तहसील सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
4. रामरतन पुत्र चुनीराम जाति बिश्नोई निवासी नजदीक नई लोहामण्डी आदमपुर तहसील आदमपुर जिला हिसा हरि०।
5. हेतराम पुत्र चुन्नीराम जाति बिश्नोई निवासी मॉडल टाउन आदमपुर तहसील आदमपुर जिला हिसार हरि०।
6. श्रीमान् तहसीलदार राजस्व टिब्बी जिला हनुमानगढ।
7. कर्मजीत कौर पत्नी जगतारसिह जाति जटसिख निवासी कमरानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
8. परमजीत कौर पत्नी जसपालसिह जाति जटसिख निवासी कमरानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए

दिनांक:- 28/5/25

निर्णय

प्रार्थीना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से तहसील टिब्बी के चक 1 एच एम एच के खाता स0 25/27 प0न0 174/269 मु0 15 किला न0 13,18,23 कुल .759 है नाली द्वितीय आराजी दर्ज राजस्व रिकोर्ड है अप्रार्थीगण एक ता सात स्वंय व अप्रार्थीगण आठ ता दस की माता स्व0 कमला पुत्री राजाराम व स्व० भागवन्ती पत्नी राजाराम के नाम संयुक्त खाता में एक 1 एच. एम. एच खाता संख्या 147/139 संवत 2075 ता 78 में अन्य आराजी के अलावा प०न० 174/269 मु० 15 किलानं0 14/.253 है0, 15/1 /.215 है0, 15/2/.038 है0 गै०मु० रास्ता, 16/1/.215 है0 नाली द्वितीय, 16/2/.038 है० ०पु० रास्ता, 17/.253, 24/.253 है० आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है जिसे प्रार्थना पत्र का भाग समझा जावें । अप्रार्थीगण संख्या आठ ता दस की माता स्व० कमला पुत्री राजाराम फौत हो है जिसके जायज व कानूनी वारीसान होने के कारण अप्रार्थी संख्या 8 ता 10 को फरीक मुकदमा बनाया गया है। जमाबन्दी में अंकित भागवन्ती पत्नी राजाराम का स्वर्गवास हो चुका है

Scanned with CamScanner

जिसके जायज व कानूनी वारीसान अप्रार्थीगण सं० 1 ता 5 व छता 10 है। 3. यह कि प्रार्थी को प्रार्थना पत्र की धारा एक वर्णित आराजी में आने जाने व फसल काश्त करने के लिए रास्ता की नितान्त आवश्यकता है क्योंकि उपरोक्त वर्णित आराजी में आने जाने के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। चक 1 एच.एम.एच प०न० 174/269 किलानं0 15 में उत्तर से दक्षिण स्वीकृत शुदा रास्ता है जिसके बाद अप्रार्थीगण की आराजी किला नं0 14 व 15 है प्रार्थी की भूमि व मंजूरशुदा रास्ता के मध्य अप्रार्थीगण की दो बीघा भूमि किलानं0 14 व 15 है जो प्रार्थी की भूमि से मात्र दो बीघा दूरी पर है इसके अलावा प्रार्थी के पास अपनी भूमि के लिए नजदीकी कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी रास्ता के अभाव मे अपनी भूमि को अच्छी तरह से काश्त नहीं कर सकते है. व ना ही अपनी भूमि को काश्त करने के लिए साधन वगैरह ला व ले जा सकते है जिससे प्रार्थी को भारी परेशानी होती है। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण की आराजी चक 1 एच. एम. एच के प०न0 174/269 मु० 15 किलानं0 14 व 15/1 में. 013–0.013 है0 चौड़ा उत्तर दिशा की तरफ पूर्व से पश्चिम स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में गै०मुव रास्ता अंकन करवाना चाहता है। प्रार्थी, अप्रार्थीगण को रास्ता की भूमि के बदले अप्रार्थीगण की भूमि के चिपती हुई कृषि भूमि या डी.एल.सी रेट से दोगुणा राशि देने के लिए तत्पर व तैयार है। प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृति का है जो एक रुपये के न्यायशुल्क पर तहरीर है तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण की आराजी चक 1 एच. एम. एच प0न0 174 /269 मु0 15 किलानं0 14 व 15/1 में .013 है0 प्रतयेक किला में चौड़ा रास्ता उत्तर दिशा की तरफ पूर्व से पश्चिम स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ता प्रार्थी के नाम दर्ज कर रास्ता को चालू करवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस सम्यक रूप से तामिल होने के बाद अप्रार्थी स0 3,7 व 6 ता 8 न तो स्वंय न ही उनका कोई विधिक पैरोकार उपस्थित हुआ उक्त अप्रार्थीगण के विरुद्व के एकपक्षीय कार्यवाही की गयी, अप्रार्थीगण स0 1,2 व 5 को जवाब हेतु अनके अवसर दिए जाने के अप्रार्थीगण स0 1 व 2 की ओर से पेश किया गया अप्रार्थी स0 5 द्वारा जवाब पेश नही करने के कारण जवाब बंद की कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी स0 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पे । हुआ किप्रार्थना पत्र की दफा 1 में प्रार्थी के नाम से आराजी दर्ज होना स्वीकार है प्रार्थना पत्र की दफा 2 में अप्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खाता में आराजी दर्ज होना स्वीकार है । प्रार्थना पत्र की दफा 3 में दर्ज तथ्य कतई गलत, असत्य व निराधार दर्ज किये गये है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे वर्णित अप्रार्थीगण की आराजी संयुक्त खाता मे दर्ज है तथा प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित रास्ता जो प्रार्थी द्वारा चकनं० 1 एच. एम. एच के प0न0 174/269 मु0 15 किलानं0 15 में उत्तर से दक्षिण स्वीकृत होना स्वीकार है। प्रार्थी द्वारा जो अप्रार्थीगण से रास्ता चाहा गया रास्ता स्वीकत होने से हम अप्रार्थीगण की भूमि दो टूकड़ो में विभक्त हो जायेगी, अप्रार्थीगण जो कि पूर्व में लघु काश्तकारान है जिनकी भूमि के टूकड़े हो जावेगें इसके अलावा प्रार्थी चक नं० 1 एच. एम.एच के प0न0 174/269 मु0 15 के किलानं0 5,6,15,16,25 में उत्तर से दक्षिण

Scanned with CamScanner

स्वीकृत रास्ता जो चल रहा है से होकर किलानं0 25 व 24 में दक्षिण दिशा की ओर पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत करवाता है तो वह रास्ता भी दो बीघा दूरी का ही है तथा उक्त रास्ता से होकर अप्रार्थी अपने किला नं० 23 में प्रवेश कर सकता है तथा इससे हम अप्रार्थीगण की भूमि के ज्यादा टुकड़े नही होगें व उक्त रास्ता पत्थर लाईन से स्वीकृत हो जावेगा, प्रार्थी को उसकी सुविधा के अनुसार रास्ता उपलब्ध नही करवाया जा सकता है जिससे कि अप्रार्थीगण जो कि लघु काश्तकार है उसकी भूमि के अधिक टुकड़े हो। इसलिए प्रार्थी चक नं० 1 एच. एम. एच के प0न0 174/269 मु० 15 के किलानं0 5,6,15,16,25 में उतर से दक्षिण स्वीकृत रास्ता जो चल रहा है से होकर किलानं0 25 व 24 में पत्थर लाईन पर दक्षिण दिशा की ओर पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत करवाता तो हम अप्रार्थीगण को कोई उज्र व ऐतराज नही है । तहसीलदार राजस्व टिब्बी से रिपोर्ट प्राप्त की गयी मुताबिक तहसीलदार राजस्व रिपोर्ट प्रार्थी को अपनी भूमि में आवगमन हेतु चक नं० 1 एच. एम. एच के प0न0 174/269 मु० 15 के किलानं0 14,15 के उतरी दिशा में एंव 1 एच. एम. एच के प0न0 174/269 मु० 15 के किलानं0 24,25 दोनो में प्रार्थी को समान दुरी पडती है। एंव प्रार्थी को वर्तमान में उक्त रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नही है।

बहस में वकील वादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी को अपनी आराजी में अवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही होने के कारण आराजी चक 1 एच. एम. एच. प0न0 174 /269 मु0 15 किलानं0 14 व 15/1 में .013 है0 प्रतयेक किला में चौड़ा रास्ता उतर दिशा की तरफ पूर्व से पश्चिम स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ता प्रार्थी के नाम दर्ज कर रास्ता को चालू करवाया जावे ताकि प्रार्थी अपनी आराजी में आवागमन कर सके। वकील अप्रार्थीगण ने चक नं० 1 एच. एम. एच के पठन0 174/269 मु० 15 के किलानं0 5,6,15,16,25 में उतर से दक्षिण स्वीकृत रास्ता जो चल रहा है से होकर किलानं0 25 व 24 में पत्थर लाईन पर दक्षिण दिशा की ओर पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी जाकर न्यायालय द्वारा प्रार्थी प्रार्थना पत्र, व अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र व पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजो का अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार टिब्बी की रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता के अलावा एक अन्य रास्ता किला न0 24, 25 से भी समान दूरी बताया गया है। चूंकि प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा प्रस्तावति रास्ता की मांग की गई है। एव वैकल्पिक रास्ता रास्ता का खातेदार पत्रावली में पक्षकार नहीं है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में नया रास्ता स्वीकृत करने से संबधित प्रावधान के अनुसार प्रार्थी के लिए नया रास्ता स्वीकृत किया जा सकेगा जब न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि (1) यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नही है (2) अन्य खातेदार की जोत मे से विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध हो गया हो। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी को अपनी जोत में अवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता एंव वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर चक 1 एच. एम. एच प0न0 174/269 मु0 15 किलानं0 14 व 15/1 में .013 है0 प्रत्येक किला में

Scanned with CamScanner

चौड़ा रास्ता उत्तर दिशा की तरफ पूर्व से पश्चिम स्वीकृत किया जाता है उक्त स्वीकृत किये गये रास्ते में आयी भूमि के बदले में प्रार्थी के हिस्सा से कम करते हुए अप्रार्थीगण के हिस्सा में उतनी भूमि समायोजित किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार स्वीकृत किये गये रास्ते का रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

([illegible])
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी।

Scanned with CamScanner